

समझ में आती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि प्रधान मंत्री या और किसी अति विशिष्ट व्यक्ति के दौर के लिए हमारी जो विदेशी यात्रा सेवा है एयर इंडिया, उसकी उड़ानें 20—25 दिन के लिए हमें कैबिनेट करनी पड़े। यह स्थिति क्यों आती है? मैं नहीं समझता कि किसी और देश में इस प्रकार की व्यवस्था होगी जिसमें कि देश का कोई विशिष्ट व्यक्ति किसी देश के दौर पर जा रहा हो, इसलिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहा हो तो ब्रिटिश एयरवेज की उड़ानें कैबिनेट हों क्योंकि वह इधर जाना चाहते हैं या बिल क्लिंटन की हवाई यात्रा के लिए यहाँ की एयरलाइंस बंद हों। लेकिन जब भी हमारे यहाँ से अति विशिष्ट व्यक्ति बाहर आते हैं तो कोई न कोई हवाई यात्रा स्थगित करनी पड़ती है। मैंने जैसा कहा कि मुझे आपत्ति नहीं है कि वह विशेष हवाई जहाज से जाएं, लेकिन उसके लिए एयर इंडिया का हवाई जहाज एकड़ा गया है, ऐसे वह चलता नहीं है, उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, इसलिए उस को 8 दिन फ्रंटेंड करके रखेंगे, फिर 8 दिन बाहर जाएगा और फिर उसे मूल रूप में आने के लिए 8 दिन यानी कुल तीन हफ्ते उसे कैबिनेट किया जाएगा। जो लंदन जाने वाला था वह नहीं गया तो पैसेंजर जो लंदन में हैं वह लोग पूछेंगे जो एयर इंडिया की फ्लाइट से जाना चाहते हैं, उनको कहा जाएगा कि हमारे प्रधान मंत्री जो चीन गए हैं? मैं इस समस्या की दृष्टि से नागरिक उड़द्वयन मंत्री जी से नहीं कह रहा हूँ, मुझको यह लगता है कि आप प्रधान मंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और जो अति विशिष्ट व्यक्ति हैं, इनके लिए खलाश से वायुयान रखें। उसमें अितनी भी सुविधा, अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए होती है, उनके अनुसार वह बनाया जाए, उसमें सेक्युरिटी कांशियसनेस और ज्यादा हो। यह हवाई जहाज अगर होगा तो बार-बार एयर इंडिया से या और किसी से हवाई जहाज नहीं लेना पड़ेगा। उसमें एयर इंडिया की प्रतिमा भी घुमिल खोनी है और प्रधान मंत्री की भी प्रतिमा घुमिल होती है। और देश पर भी प्रभावित नहीं लगता है। लगता है कि इनके पास हवाई जहाज इतने कम हैं कि प्रधान मंत्री को दौरे तो पैसेंजर को नहीं दौरे और पैसेंजर को दौरे तो प्रधान मंत्री दौरा नहीं कर सकते। मुझे लगता है देश जब इतने हजारों-हजार करोड़ का खर्च करता है तो मेरा नागरिक उड़द्वयन मंत्री जी से यह कहना है कि प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति की किसी बर्षगांठ पर एक एयर इंडिया का हवाई जहाज प्रेजेन्ट कर दें और वह हवाई जहाज लेकर प्रधान मंत्री दौरा करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस प्रकार से इसकी प्रतिमा बन रही है वह गलत है। अगर नागरिक उड़द्वयन मंत्री कुछ कर सकते हैं तो करें। यह मेरी प्रार्थना है।

उपसभापति : आप तो कमेटी के चेयरमैन हैं। आप कमेटी की तरफ से मशिकरा दे दीजिए।

श्री अर्ध प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : यह सारे सदन की तरफ से मशिकरा आ रहा है।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं प्रमोद जी से बिल्कुल बराबर सहमत हूँ। एक

मिनट अगर रोस्टर में लेट भी पहुँचा तो इसका एक कारण टैलीग्रेफी है, मैं इसी बारे में मीटिंग ले रहा था कि जब भी प्रधान मंत्री जायें या राष्ट्रपति जायें या उपराष्ट्रपति जायें तो क्या करें? इन्हींने मिसाल दी क्लिंटन की। उनके पास दो हजार जहाज हैं। अगर हमारे पास एक चौथाई भी होते तो शायद यह जरूरत न पड़ती बल्कि सीमा हिस्सा भी नहीं है। लेकिन कल भी और आज भी इसी बारे में मीटिंग ले रहा था। टूरिस्ट की वजह से भी हमें दिक्कत हो जाती है। जहाज डिसलेकेट करने पड़ते हैं। लेकिन जाने वाले कुछ मन्त्रीनों में हम सोचते हैं इस बारे में परमानेंट इलाज निकालें ताकि पैसेंजर को नुकसान न हो और फ्लाइट से रेवेन्यू भी हासिल न हो।

उपसभापति : श्री अहमद मोहम्मद भाई पटेल। इनकी मेटन स्प्रीच है।

SPECIAL MENTIONS

Sardar Sarovar Projects

श्री अहमद मोहम्मद भाई पटेल (गुजरात) : उपसभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि गुजरात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम मसला सरदार सरोवर योजना के बारे में विशेष उल्लेख करने का आपने मुझे मौका दिया। जैसा सब जानते हैं कि सरदार सरोवर योजना न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इन योजना का जल्दी से जल्दी परिपूर्ण होना न सिर्फ गुजरात की जनता के लिए बल्कि समूचे-समूचे राष्ट्र के हित में होगा, यह कहूँगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं जब राष्ट्र हित की बात कर रहा हूँ तो इस योजना के बारे में मैं कुछ बात भी करना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं हमारा अन्न उत्पादन, अनाज उत्पादन इस साल 180 मिलियन टन रहा। यह बहुत प्रशंसनीय बात है। लेकिन जिस रफ्तार से हमारी आबादी की बढ़ोतरी हो रही है मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें ज्यादा अनाज की जरूरत पड़ेगी। जो कृषि के लिए वाज्य जमीन उपलब्ध है हमारे पास वह 141 मिलियन हेक्टेयर है उसमें अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि जैसा कहा गया कम हुई है। दूसरी बात मैं यह भी जिक्र करना चाहूँगा कि जैसा सब जानते हैं हमारे देश में एक तिहाई एरिया ऐसा है जहाँ पर हमें हमेशा अकाल का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ 12 प्रतिशत एरिया ऐसा है जो हमेशा बाढ़ग्रस्त रहता है। ऐसी हालत में 1997 में हमें तकरीबन 210 मिलियन टन अनाज की जरूरत पड़ेगी और 2007 तक हमें तकरीबन 285 मिलियन टन अनाज की जरूरत पड़ेगी। जब यह योजना परिपूर्ण होगी तो इससे 18 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की सुविधा होगी। गुजरात में राजस्थान और दूसरे प्रदेश अलग हैं। अगर हम यह मानकर चलें कि सिर्फ 70 प्रतिशत कृषि जमीन की सिंचाई होगी तो मैं समझता हूँ इससे हमारे देश में 36 लाख टन अनाज का ज्यादा उत्पादन होगा और यह अनाज मेरे अलावा से एक करोड़ 80 लाख लोगों का पेट भरेगा। इतने लोगों को फायदा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ यह जो योजना है यह राष्ट्र के हित में है और जल्दी से जल्दी यह परिपूर्ण हो जाए यह बहुत ही आवश्यक है।

दूसरी इसकी उपलब्धी यह है कि जो बिजली शक्ति इससे पैदा होगी तकरीबन 1450 मैगावाट होगी। अगर हम गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट लगायें या थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगायें तो इससे मेरे ख्याल से 14 हजार से 17 हजार करोड़ के ज्यादा खर्चा होता है जो हम बचा पायेंगे।

1.00 P. M.

तो यह भी राष्ट्र के हित में होगा। जब ऐसी राष्ट्रीय हित की योजना है तब उसमें किसी प्रकार की बाधा या रुकावट या अवरोध पैदा करने की कोशिश की जाती है तो यह मेरे ख्याल में निन्दनीय है। गुजरात की जनता इस प्रकार की किसी कोशिश को हरगिज हरगिज नहीं सहन करेगी, हम नहीं टॉलरेट करेंगे। आखिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म-भूमि गुजरात है और अगर इसमें किसी प्रकार की रुकावट या अवरोध पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमें जो रास्ता दिखाया है, सत्याग्रह का, उसी रास्ते से गुजरात की जनता चलेगी, मैं यह आज कहना चाहूंगा। हमारे जल संसाधन मंत्री ने इसी महीने की 3 तारीख को और 5 तारीख को दो नोटिफिकेशन इस किये हैं। उनसे थोड़ा-सा गुजरात की जनता को शक सा पैदा हुआ है, भ्रम सा पैदा हुआ है। 3 तारीख को इन्होंने जो नोटिफिकेशन इस किये हैं उसमें कहा है—

Ministry of Water Resources issued a notification of 3rd August setting up a group of eminent experts to continue discussion as initiated on 29th and 30th June by the Union Water Resources Minister with the Narmada Bachao Andolan people regarding some of the related issues of the Sardar Sarovar Project. The group was asked to give report after discussing with the various inter-State groups in a time limit to be decided by the group itself.

यह नोटिफिकेशन 3 तारीख को इस हुआ और उसके दो दिन बाद कहते हैं—

However, two days later, on 5th August, the Ministry superseded that Notification and issued a fresh Notification asking the group with a same proposition to continue review discussion regarding all related issues on Sardar Sarovar Yojna. Also the group was asked to submit their report within three months' time limit or earlier and also that Notification mentioned that the group report - will be made public within a month's time— after being received by the Ministry-

This Notification obviously created a lot of anxiety and apprehension in the mind of the Gujarat people, since it is giving an impression as if the Ministry is considering even reviewing this project. This is not at all sustainable in the light of the tribunal's award, which clearly

stipulates that basic parameters, like water allocation, height of the dam, canal base level cannot be reviewed till 45 years after the publication of the tribunal award in the Government Gazette i.e. till 2025.

2025 तक इसको रिव्यू नहीं कर सकते। इसके आक्वूड भी जिस तरह से दो दिन बाद गूप् बनाया गया है उससे मेरे ख्याल से गुजरात की जो जनता है उसमें काफी शक पैदा हुआ है। जहाँ तक पर्यावरण का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारी सरकार को, जल संसाधन मंत्री जी को पर्यावरण की चिन्ता है उससे कम चिन्ता गुजरात की जनता को नहीं है। गुजरात की जनता पर्यावरण के बारे में हमेशा चिन्तित है। मैं यह कहना चाहूंगा कि गुजरात की सरकार ने जिस तरह से पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए रिहोबिलिटेशन की स्कीम बनाई है, शायद ही जलित में किसी ने बनाई होगी और न ही मविष्य में कोई बनाएगा। जो रिहोबिलिटेशन की स्कीम है, पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए, खासतौर से जो विस्थापित लोग हैं, जिनके धरकार पानी में डूब रहे हैं, जिनकी जमीन जारही है, उनके लिए जो स्कीम बनाई है, उसको मैं हाउस के सामने रखना चाहूंगा।

That is a full compensation for existing house. Dismantled component transported free of cost at new habitat.

Each family will get two hectares of irrigable land whether it is agriculturist or not. Every major son of 18 years plus will be treated as a separate family.

A subsidy of Rs. 5,000 for purchase of productive assets.

Subsistence allowance of Rs. 15 per day for 25 days in a month for the first year of resettlement.

Resettlement grant of Rs. 750 plus escalation in consumer price index at the rate of 8 per cent from January, 1980.

Besides, grant-in-aid is also paid between Rs. 500 and Rs. 2000, which is inversely related to amount of land acquired, plus escalation at the rate of 8 per cent per annum—from January, 1980.

Insurance for Life Rs. 6,000, house Rs. 5,000, household kit Rs. 1,000.

Free residential plot of 60 ft. X 90 ft.

Civic and other amenities such as approach roads, primary school, health centre, panchayat building, seeds, store, childrens' playground, village tank, drinking water well, electricity, vocational training centre, employment priority, etc.

The cost of above amenities per PAP comes to about Rs. 2 to 2.25 lakhs "

हमारे आदिवासी सहस्य माननीय रामसिंहभाई राठवा जी ने इस मामले को हाउस में रोज किया। वह उस एरिया से आते हैं। वहाँ पर किसी तरह का डिस्मटिफिकेशन नहीं है। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि बार-बार यह प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी जो पानी की संग्रह क्षमता है, वह इतने सालों के बाद भी कम है। आज ये लोग पर्यावरण का सवाल उठा रहे हैं, जो विदेशी शक्तियाँ हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, जो आज पर्यावरण की बात कर रही हैं, उनके यहाँ सालों पहले डैम बन चुके हैं। उनके यहाँ पानी की जो संग्रह-शक्ति है वह हमारे से कई गुना ज्यादा है और वही लगे, वही ताकतें पर्यावरण के नाम पर हमारे प्रोजेक्ट्स को सबोटाज करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि निन्दनीय है। अगर हम इस साजिश के शिकार होंगे तो मेरे ख्याल से यह राष्ट्र हित में नहीं होगा। जैसे मैंने कहा यह स्वाभाविक है कि पर्यावरण के बारे में चिंता की जाय और हमारी भी चिंता है। यह स्वाभाविक है। अगर मेधा पाटकर की जान बचानी है तो उनकी जान बचानी चाहिये। हममें हम भी सहमत हैं। हममें गुजरात की जनता भी सहमत है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सहमत है। किसी भी महिला की जान बचानी चाहिये। लेकिन इस चिंता के माध्यम से यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में हजारों-लाखों महिलायें ऐसी हैं — वहाँ हर तीसरे साल अकाल पड़ता है तो जो वहाँ की महिलायें हैं उनके बच्चे, दूध की बात तो साइड पर रखिये लेकिन कभी-कभी अकाल के दौरान उनको पानी भी नहीं मिलता। ऐसी भी महिलायें हैं जिन्होंने दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर तक पानी के लिये जाना पड़ता है। जब अकाल पड़ता है तो हमारे जो बूढ़ हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो मजदूर हैं, जिनके पास सौ-सौ एकड़ जमीन है, उनमें से भी वहाँ ऐसे किसान हैं जब अकाल पड़ता है तो हमारे जो राशन कार्य होते हैं, रिस्लीफ वर्क है उसके अंदर सर पर टोकरा उठाकर, मिट्टी उठाकर काम पर जाते हैं। तो इस बात का भी मेरे ख्याल से ध्यान रखना चाहिये, इसकी भी चिंता करनी चाहिये। यह जो योजना है यह गुजरात के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, समूचे राष्ट्र के लिये बहुत महत्वपूर्ण

है। तो मैं केंद्रीय सरकार के जल संसाधन मंत्री जी को आपके माध्यम से तीन चीजों के लिये अनुरोध करना चाहूँगा। एक तो 5 अगस्त को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर पुनः विचार किया जाय। दूसरा, जो फॉरेस्ट की 15 सौ हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेशन के लिये डिमांड की है, उसके मान लिया जाय, उसके रिस्लीफ किया जाय और तीसरा है कि क्षेत्रीय एकनामिक कोऑपरेशन फंड की तरफ से जो सौ मेगावाट कोर्पोरेट की 6 पम्प टरबाइन और जनरेटर स्वीटने के लिये जो 180 मिलियन यू.एस. डॉलर का लोन मिलाने का वादा था उसमें कुछ बाधा आने के कारण मैं वित्त मंत्री जी से इस सचन के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि इतनी ही मात्रा का लोन भारत सरकार भुक्त करे ताकि सरदार सरोवर योजना

का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have to call Mrs. Urmilaben. (Interruption). I will call four people, all of you. I will call her first.

श्रीमती उर्मिलाबेन विमनभाई पटेल।

श्री धीरेंद्र दयाल मिश्र (बिहार) : ये भी मेहनत स्वीच दे रही हैं ?

उपसभापति : उनको हमीलिये पहले बुला लिये।

श्रीमती उर्मिलाबेन विमनभाई पटेल : (गुजरात) : उपसभापति महोदय, मैं सरदार सरोवर योजना की पुनः अलोचना के लिये जो कमेटी बनायी है, उसके बारे में गुजरात में जो उग्र आवाज उठी है, उसके बारे में भोलना चाहती हूँ। सरदार सरोवर योजना अकेली गुजरात की योजना नहीं है। यह योजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन चारों राज्यों के लिये है। लेकिन मैं आपको बहु-राज्य योजना नहीं मानती हूँ, यह नेशनल, राष्ट्रीय योजना है। इससे लाभ होगा और अकेले गुजरात को नहीं होगा बल्कि पूरे देश को लाभ होगा। मुझे याद है जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी तो उस समय पंजाब में भाइड़ा-नांगल डाम बना था। तो उस समय अपने माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल जी ने बताया था कि यह योजना भारत के लिये यात्राघाम है। हम गुजरात से स्पेशल ट्रेन लेकर, ऐसी बड़ी बड़ी योजना जो बनायी गई थी, जो यात्राघाम बनाये गये थे, उनको देखने के लिये गये थे। कभी किसी ने नहीं सोचा कि यह पंजाब की योजना है। इसी तरह सरदार सरोवर योजना एक राष्ट्रीय योजना है। इससे जो फायदा होगा, जो उत्पादन होगा, खेतों की पैदावार में बढ़ावा होगा, जो औद्योगिक विकास होगा, जो व्यापार बढ़ेगा, उसका फायदा पूरे देश को होने वाला है। इस तरह से इसको देखा जाना चाहिये। ऐसी बड़ी योजनाएँ बनाना कोई हमारे देश में नहीं बात नहीं है फिर भी दुनिया में कई देशों ने ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएँ हुई हैं तभी दुनिया के सब राष्ट्र आगे आ सके हैं। खुद अमरीका ने भी हुवर डैम बनाया था। यह भी ऐसी एक बड़ी योजना थी। तो बड़ी योजना होने से उसका विरोध करना, यह ठीक नहीं है। गुजरात के लिए और भी महत्व की बात यह है कि यह योजना हमें पीने का शुद्ध पानी देने वाली योजना है। आप सब मेम्बरान जानते हैं कि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिसके बारे में बाहर यह दृष्टिकोण है कि बहुत समृद्ध प्रदेश है लेकिन इकीकत में यह पिछड़ा हुआ प्रदेश है। वहाँ 10 साल में 8 साल अकाल रहता है। जो साल पहले पूरे गुजरात में सतत तीन साल का अकाल रहा। सौराष्ट्र, कच्छ में बार साल का अकाल रहा। वहाँ पर पीने के पानी की सुविधा देने में 1500 करोड़ रुपये खर्च हो गये। अगर इसी तरह से अकाल पड़ता रहा तो नर्मदा योजना का पूरा खर्च एक अकेले अकाल में ही हो जाता है। अगर प्रेडिक्शन लास गिनें तो 6000 करोड़ का नुकसान तीन साल के अकाल में पूरे गुजरात को हुआ था। मेहनत, मैं यह बूझना चाहती हूँ कि क्या गुजरात के लोगों

को पीने का पानी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह तो मूलभूत अधिकार है—खाना, पीने के लिए पानी, शूद्र हवा प्राप्त करना, यह किसी भी नागरिक का मूलभूत अधिकार है। अगर गुजरात के अकालग्रस्त लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, अगर वह ऐसी सुविधा मांगते हैं तो देश से कुछ ज्यादा नहीं मांगते हैं? यह बात सच है कि ऐसी योजना से हमारे देश के 75 प्रतिशत लोगों को पीने का पानी मिलने वाला है। अभी इसी समय यहाँ बारिश हुई लेकिन फिर भी सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लोगों को टैंकों से पानी देना पड़ता है। जामनगर जिले में आज भी टैंकों से पानी देना पड़ता है। जब गर्मी के दिन आते हैं तो कई गांवों में और कई शहरों में देन से भी पानी भोजना पड़ता है। तो यह हमारी जो पीने के पानी की समस्या है, इसके लिए सरदार सरोवर योजना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास एक ही नदी है जो नर्मदा नदी है जिससे हम पानी तो सकते हैं। जो गंगा-यमुना का प्रदेश है या ब्रह्मपुत्र का प्रदेश है, जहाँ एक साल में दो-दो बार बाढ़ आती है, उन लोगों को पीने के पानी की समस्या क्या होती है, उसका शायद स्थान न हो लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी नदियाँ ही नहीं हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर नदियाँ तो ऐसी हैं कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, बाढ़ आती है, उसमें पानी चला जाता है। यह सरदार सरोवर योजना ऐसी जगह पर बन रही है कि अगर हम इस पानी का उपयोग नहीं करें तो यह पानी समुद्र में बह जाएगा और जो पानी है वह पीने के योग्य नहीं रहेगा। अगर यह योजना बनाई जाएगी तो हमारे गुजरात की जो पीने के पानी की समस्या है, वह ज्यादातर हल हो जाएगी। दूसरी बात, मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हम पर्यावरण के हिसाब से देखें तो सरदार सरोवर योजना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और इसको इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है कि इसे हम एक माडल के रूप में बताना सकते हैं। इसमें डूब में जाने वाली जो जमीन है वह 4,523 हेक्टेयर जमीन है। उसके सामने गुजरात 4,650 हेक्टेयर जमीन में काम्पेनसेंटेड फारेस्ट बना रहा है। इस संबंध में जो सोशल फारेस्टेशन हो रहा है, जो कैचमेंट एरिया में फारेस्टेशन हो रहा है, जो नहर खाने वाली है वहाँ जो होने वाला है, यह सब प्लानिशन अगर गिनें तो एक डूबने वाले वृक्ष के सामने—टिब्यूनल अवार्ड में तो हमने 40 वृक्ष लगाने का वचन दिया है—लेकिन एक के सामने गुजरात की जनता ने एक सौ वृक्षों का रोपण करना तय किया है। हमारे हर एक गांव में पंचायतों द्वारा स्कूलों द्वारा, वालंटरी एंजेंसीज द्वारा गांव-गांव में नर्मदा बन खड़ा करने का सब प्रोग्राम चल रहा है। तो इससे हमारा पर्यावरण सुधरेगा। पानी और वृक्ष पर्यावरण सुधारने के साधन है यह आप सब मेम्बरान जानते हैं।

वैसे ही दूसरी बात है जो ज्यादातर नर्मदा योजना के विरोधी लोग कह रहे हैं वह विस्थापितों के बारे में है कि विस्थापितों को कैसे रिहैबिलिटेड किया जाएगा। यह माननीय सदस्य अब्दुल मजिद हैं जो बतलाते हैं। इसका मैं रिप्लाइज नहीं करती हूँ लेकिन मैं जरूर बतला देगी कि एक असरग्रस्त—जिसको इस योजना में विस्थापित होना पड़ता है उसके सामने तीन सौ का रेशिडेंस होता है जो लाभार्थियों में गिने जा सकते हैं। अभी अब्दुल मजिद ने

बतलाया कि अगर हम एक लड़की के मेधा पाठकर की लाइफ की चिंता कर रहे हैं कि वह अपना आत्म-विलोपन करेगी तो क्या होगा? तो गुजरात में दो करोड़ की बस्ती बिना पानी वाली है, इसमें एक करोड़ स्त्रियाँ हैं, क्या हम एक करोड़ स्त्रियों के बारे में, उनकी जान बचाने के बारे में, उनको पानी की सुविधा देने के बारे में कुछ विचार नहीं करेंगे? अभी तो ऐसा समय आ रहा है कि पानी का अकाल इतना हो रहा है कि कच्छ और सौराष्ट्र में लोगों को स्थानांतरण करके दक्षिण गुजरात में खाना पड़ता है। यह स्थानांतरण की प्रक्रिया भी कोई नयी प्रक्रिया नहीं है। हर गर्मी के दिनों में जो गरीब लोग हैं, जो देहातों में रहते हैं वे स्थानांतरण करके गुजरात में आते हैं, अपने रिश्तेदारों के घरों में रहते हैं। जो लोग पशु-पालन का काम कर रहे हैं वे जो उनके कैटल्स और टोर हैं उनको लेकर हर गर्मी के दिनों में गुजरात में आते हैं और गर्मी जब पूरी होती है, बारिश की शुरुआत होती है तो सौराष्ट्र और कच्छ में वापस चले जाते हैं। यह स्थानांतरण की प्रक्रिया हर साल की प्राथम्यता है। अगर यह योजना होगी तो इसके बारे में गुजरात की प्रजा को बहुत बड़ा लाभ होगा।

मैं यह भी बताना चाहती हूँ जो रिहैबिलिटेडिशन के काम के बारे में कहते हैं कि कुछ चल नहीं रहा है। अगर अभी तक का जो रिहैबिलिटेडिशन हुआ है उसके बारे में बताऊँगी कि गुजरात में जो 4,500 विस्थापित होने वाले हैं इनमें से 4,100 को पुनर्वास दे दिया गया है। महाराष्ट्र में से जो गुजरात में आने वाले हैं इनमें से 550 का पुनर्वास हो गया है और मध्य प्रदेश में जो-जो होने वाले हैं इनमें से 1,325 का पुनर्वास किया गया है। यह बताता है कि गुजरात बहुत निष्ठापूर्वक पुनर्वास की जो पालिसी है उसका उपयोग कर रहा है।

यह बहुत महत्व की बात है कि गुजरात के लोगों के हित को देखा जाए और यह जो कमेटी बनायी गयी है इसको अगर विद्वान किया जाए तो गुजरात की प्रजा पर इससे बहुत बड़ा अहसान होगा।

नर्मदा विरोधी जो लोग काम कर रहे हैं वे किसके बल पर काम कर रहे हैं, कहाँ से उनके मरद मिलती है यह भी देखना चाहिए। उनके पीछे बड़े-बड़े जो समूह देश हैं, विकसित देश हैं, ये हैं। उन लोगों का उन्हें पुरा प्रोटेक्शन मिलता है, पूरी भरद मिलती है, पूरी सहायता मिलती है, पुरा प्रोटेक्शन मिलता है। विदेशों के जो विकसित देश हैं वे नहीं चाहते कि भारत का विकास हो और भारत स्वतंत्र हो, आत्मनिर्भर हो। इसीलिए उनका जो प्रोटेक्शन है इनको भारत में बचाने का उनका जो वेस्टेड इंटरैस्ट है इस वेस्टेड इंटरैस्ट को कोई असर न हो, भारत में उनका मारकेट बना रहे, इसलिए वे लोग हमारी योजनाओं का विरोध कर रहे हैं यह बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी। अगर यह नहीं रखेंगे, तो अब सरदार सरोवर योजना का विरोध हुआ, जो कल दूसरे प्रदेशों में भी ऐसी योजनाओं का विरोध होगा। अब कोई पीने के पानी की योजना का विरोध हुआ, तो कल इंडस्ट्री का

या कोई भी विकास योजना का होगा।

तो हमें और हमारी यह सरकार को जब हमारे देश के विकास के विरुद्ध जो षडयंत्र चल रहा है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए।

उपसभापतिजी, आपकी मारफत में अनुरोध करती हूँ कि यह जो कमेटी का गठन किया गया है, उसको विद्वत्ता दिया जाए और यह योजना जल्द से जल्द पूरी हो, टार्जम पूरी हो, इस दिशा में—आपका प्रभाव हमारे सब मेम्बरान भी मानते रहते हैं, तो सद्प्रभाव डाल कर हमें यह योजना निर्धारित समय पर पूरी करने में मदद करें।

ऐसी इच्छा में आप सब से व्यक्त करती हूँ और मैंने थोड़ा उपास समय लिया, फिर भी आपने कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सब की शुकृगुजार हूँ।

उपसभापति : आपकी और अहमद पटेल की मेहनत स्वीच पी, इसलिए ज्यादा समय दिया।

यह सुविधा खाने वाले दूसरे मेम्बरों को उपलब्ध नहीं होगी, चाहे वह सरकार सरोवर पर ही क्यों न बोल रहे हों—यह सुविधा उन्हें नहीं दी जायगी।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : चाहे कालिंग अटेंशन की ... (व्यवधान)

[उपसभापति (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए।

श्री अजयनाराय देवशर्कर दूबे (गुजरात) : उपसभापतिजी, माननीय सदस्य अहमद जी ने और उर्मिलाबेन जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और एक ही मुद्दा उसमें ऐह करना चाहता हूँ कि गुजरात असम्बली में सुनेनिमस्ली एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो पांच तारीख को परिपत्र वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की ओर से जारी किया गया था, वह परिपत्र रद्द किया जाए, विद्वत्ता करने की अब बात ही नहीं रही है। जो गस्त परिपत्र जारी किया गया है, वह रद्द किया जाए और उस कमेटी में जो चार-पांच लोग हैं, उसमें तीन लोगों का मत प्रसिद्ध मत है। उन्होंने कई बार वेपर्स में नर्मदा के विरुद्ध अपने मतका भी प्रस्तुत किये हैं।

इसी वजह से ऐसे लोगों को इस कमेटी में रखने से कमेटी का रिपोर्ट कोई फायदाकारक नहीं होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि टिम्बूनल ने जब अर्बाई दिया है और उसमें लय किया गया है कि 45 साल तक कोई रेव्यू नहीं होगा, तो भी गवर्नमेंट ने तीन तारीख का जो परिपत्र रद्द किया, उसमें डिस्कशन रखा था। पांच तारीख का जो परिपत्र रद्द किया, उसमें रेव्यू डिस्कशन रखा गया। यह दोनों परिपत्र—पहला परिपत्र तो रद्द हो गया, दूसरा परिपत्र भी रद्द होना चाहिए। ऐसी मेरी गवर्नमेंट से मांग है कि जल्द से जल्द यह परिपत्र रद्द होना चाहिए।

गुजरात में इससे संबंधित जो पीपल का मत है, वह बहुत उग्र है और सारा देश जानता है। मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि नव-निर्माण का आंदोलन भी गुजरात से शुरू हुआ था और ऐसा आंदोलन देश में छिड़ न जाए, इसलिए मैं गवर्नमेंट को सचेत करना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग नर्मदा के इशू पर अपना जो मत प्रदर्शित कर रहे हैं, उग्र रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी वजह से यह परिपत्र जल्द से जल्द रद्द किया जाए, ऐसी मेरी सरकार से मांग है।

श्री चिनमभाई वेहला (गुजरात) : उपसभापतिजी, मैं सिर्फ एक ही बिंदु पर आपके माध्यम से वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री का ध्यान आकर्षित करूँगा। गवर्नमेंट ने जो आफिस मेमोरेण्डम निकाला है, उसके पहले भी सरकार ने काफी वैसिलेजान बताया है और यह एनविरनमेंटलिस्ट विवेक में चूमते रहे।

उसका एक नतीजा तो आ ही गया है कि हमें जो लोन वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला था और जापान से जो लोन हमें मिलने वाला था, वह सौ करोड़ रूपया हमारा जो मुकर्रर किया गया था, वह बंद कर दिया गया है।

दूसरा जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट लोन का है, उस पर भी आम्बटेकल खड़ा हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट ने आल साइडिड रेव्यू की बात कर दी। अब आल साइडिड रेव्यू तीन महीने में कमेटी करेगी। जिसके बारे में कहा गया था कि 45 ईयर्स तक नहीं कर सकते और पाचों, सेन्टल गवर्नमेंट और चार राज्यों में से कोई की सम्मति नहीं हो तो रेव्यू नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद एगोस्ट टिम्बूनल अर्बाई के एगोस्ट अगर सरकार रेव्यू करवाती है तो वह खुद एक बहुत बड़ा गलत काम कर रही है। इर-रेसपॉसिबल काम कर रही है। तो इसलिए समझना चाहिए कि यह जो काम हुआ है उसके बारे में जो हमारे साथी ने कहा, किसी ने रेव्यू की बात कही और किसी ने कहा कि विद्वत्ता कीजिए, किसी ने स्कोप कहा, एक ही बात है कि इनको आप बंद कर दीजिए—इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी सूच किया जा सकता है। Because it is totally against the award. This is the whole problem. और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इरीगेशन रिच पीजेंट्स के लिए है। गुजरात की आधी बस्ती 8000 विलेजेंज उनको ट्रिकिंग वाटर देने की बात है। अगर ट्रिकिंग वाटर पहुँचाने में भी आप रुकवाट करते हैं तो उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आज तक 2500 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं और जितनी वेर होती है, उसकी कास्ट बढ़ती रहती है। यह योजना सिर्फ गुजरात के 4 करोड़ लोगों की नहीं है, 4 राज्य तो डाइरेक्टली संबंधित हैं यानी 20 करोड़ की जनता डाइरेक्टली इफेक्टेट है और पूरे हिन्दुस्तान में जो भयंकर लोग, हमारे साथी अहमद भाई, उर्मिला बेन, दबे जी, सब ने बताया है तो नेशनल स्कीम को पानी की ट्रिप्ट से 8 हजार विलेजेंज की जो कि आधी बस्ती है गुजरात की, उनको पानी पीने के लिए आपके उसकी सुविधा जल्दी पहुँचाना चाहिए। इसलिए जो वैन्त बनाई है रेव्यू के लिए उसके स्कोप कीजिए या विद्वत्ता कीजिए। जो कुछ करना है, आप कीजिए। बैंक नू।